

उत्तराखण्ड



लोक निर्माण विभाग

"वनभूमि"

हस्तान्तरण पत्रावली

सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ- रुद्रप्रयाग,

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

ग्राम:- चिलौण्ड

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र:- कालीमठ

तहसील:- ऊखीमठ

जनपद:- रुद्रप्रयाग

क्षेत्रफल:-
1.05 है० आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) मोटर मार्ग निर्माण हेतु
0.160 है० आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) मक डम्पिंग हेतु।
0.350 है० राज्य भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु।
0.05 है० राज्य भूमि मक डम्पिंग हेतु।

कुल वनभूमि = 1.610 है०

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	संग्रहित है/नहीं	संग्रहित न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	8	संग्रहित है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	9-13	संग्रहित है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	14-17	संग्रहित है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	18	संग्रहित है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रामाण्य वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	19	संग्रहित है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संग्रहित है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	21	संग्रहित है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	22	संग्रहित है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	23	संग्रहित है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक संरक्षण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	21-22	संग्रहित है	
11	वैकल्पिक संरक्षण तलाश जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	24-31	संग्रहित है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	32	संग्रहित है	
13	प्रस्तावित भूमि का लैंड शेड्यूल।	33-34	संग्रहित है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	35	संग्रहित है	
15	बार चार्ट।	36	संग्रहित है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	37	संग्रहित है	
17	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	38-43	संग्रहित है	
18	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	44	संग्रहित है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	45	संग्रहित है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रस्तावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	46	—	बाँज वृक्ष प्रस्तावित नहीं हो रहे हैं।
21	वृक्ष प्रस्तावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	—	संग्रहित नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	47	संग्रहित है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	48-49		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	52		
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	50-51	संग्रहित है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रस्तावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	53	संग्रहित है	
27	लागत लाभ विश्लेषण। (5 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संग्रहित नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे० से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	54-58	संग्रहित है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संग्रहित नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संग्रहित नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन

			है	निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	60-61	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	62	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कोफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	63-64	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	65-66	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	67	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	68	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	69	संलग्न है	
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	70	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	71	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	72-76		
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	77		
42	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	78-79		
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	75-76		
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियाँ/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	80-82		
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	83		
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	—		
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	84-86	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	87	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	88	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	89	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	90	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैंट प्लान (यदि लागू हो) व कैंट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैक्ट सीट

1- **परियोजना का नाम:-** जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लीजनिंग को हस्तान्तरण।

2- **प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)**

आरक्षित वन भूमि (संरक्षित)	1.05 है० मोटर मार्ग हेतु + 0.160 है० एक इम्प्लेंट हेतु = 1.210
राज्य भूमि	0.350 है० मोटर मार्ग हेतु + 0.05 है० एक इम्प्लेंट हेतु = 0.400
नाप भूमि	शून्य
वन पंचायत भूमि	शून्य
योग	1.610 है०

3- **प्रस्तावक विभाग का नाम -** निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4- **वन प्रभाग का नाम -** केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

5- **प्रस्ताव बांडडिंग किया गया है -**

हाँ/नहीं

6- **प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -**

हाँ/नहीं

7- **क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी**

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ/नहीं

8- **क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-**

हाँ/नहीं

9- **प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का सजरा दर्शाया गया है -**

हाँ/नहीं

10- **प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है-**

हाँ/नहीं

11- **वाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न**

है-

हाँ/नहीं

12- **प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-**

हाँ/नहीं

13- **संश्लेषण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। -**

हाँ/नहीं

14 - क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। -

✓ हॉ/नही

15 - क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना गय स्थल उपयुक्तता

प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। -

✓ हॉ/नही

16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। -

✓ हॉ/नही

17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास स्थित

पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। -

✓ हॉ/नही

18 - क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। -

✓ हॉ/नही

19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। -

✓ हॉ/नही

यदि हॉ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। -

हॉ/नही

20 - क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। -

✓ हॉ/नही

21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। -

✓ हॉ/नही

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

22 - क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है। -

✓ हॉ/नही

23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। -

✓ हॉ/नही

24 - क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है -

हॉ/नही

25 - यदि उल्लंघन हुआ है तो पूरा स्थिति वर्णित करने वाले दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

उल्लंघन नहीं हुआ है।

26 - सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाओं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। -

हॉ/नही

27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

(5.00 है.से अधिक के प्रकारणों में लागू होना)

हाँ/नहीं

29-मानचित्र व वास्तु में एकरूपता है

हाँ/नहीं

30-मूल्य के विस्तारण की योजना गय मानचित्र सहित संलग्न है

हाँ/नहीं

अथवा

मूल्य के विस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

31-राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के

साथ संलग्न है

हाँ/नहीं

32-यथा प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न हैं

यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं-

हाँ/नहीं

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जाती है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-

हाँ/नहीं

35-यथा प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

हाँ/नहीं

36-यथा बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं-

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म शीट एवं बैंक लिस्ट के अनुसार भरित किया गया है व

समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं



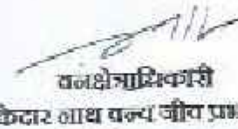
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रूद्रप्रयाग)



उपभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
नौपेश्वर



प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
नौपेश्वर

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 1568 / जि०यो०

2005-06/24-4 दि० 29/03/2006 के द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित वसावटों को बारहमासी संपर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 2.00 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसकी धनराशी ₹ 33.60 लाख है। उक्त मार्ग के संमंथन में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मकड़िपगं हेतु	1500	7	1.05 → 0.160 = 1.210
2	राज्य भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मकड़िपगं हेतु	500	7	0.350 → 0.05 = 0.400
3	वन पंचायत भूमि अथवा श्रेणी की वन भूमि (सदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य
	वनभूमि का योग:-	2000	7	1.610
4	लाप भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल योग:-	2000	-	1.610

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अधीक्षक

निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊस्वीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊस्वीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊस्वीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊस्वीमठ (रुद्रप्रयाग)

Authrity Letter

Er. Andeep Rana, Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of Construction Division, P.W.D. Ukhimath (Agency name) on the Goverment of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)



(Manoj Das)

Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath

प्रपत्र-2
परिशिष्ट
(देखिए नियम -6)
फार्म- 'क'

पृष्ठ संख्या (9)

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाँने के लिए)

परियोजना विवरण

- | | | | |
|-------|--|----|--|
| (i) | अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | :- | अराखण्ड के जलपद-रुद्रप्रयाग के सीमान्त गाँव विलीण्ड को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिये जाल बैण्ड से विलीण्ड तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लो0लि0वि0 कसीमत को हस्तान्तरण करने हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। वर्तमान में विलीण्ड ग्रामवासियों (कुल आबादी 311) को मूलभूत सुविधाओं के लिये 2.00 कि०मी० पैदल तथा 31.00 कि०मी० मोटर मार्ग से होते हुये तहसील मुख्यालय आना पड़ता है। |
| (ii) | 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप। | :- | संतुल्य |
| (iii) | परियोजना लागत। | :- | ₹ 33.60 लाख |
| (iv) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | :- | प्रपत्र 11 (पृष्ठ संख्या 23) के अनुसार |
| (v) | लागत लाभ विश्लेषण (संतुल्य किए जाने के लिए)। | :- | लागू नहीं है। |
| (vi) | रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | :- | 11200 मानव दिवस |
| 2- | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। | :- | प्रपत्र 16 (पृष्ठ संख्या 35) के अनुसार |
| 3- | परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है। | :- | लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है। |
| (i) | परिवरों की संख्या। | :- | शून्य |
| (ii) | अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| (iii) | पुनर्वास योजना (संतुल्य किए जाने लिए)। | :- | नहीं |
| 4- | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं) | :- | संतुल्य |
| 5- | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डशायक प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनपद्धता संलग्न की जाए) | :- | विषय सूची के अनुसार संलग्न है |
| 6- | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा। | :- | |

तिथि 19/09/2016

स्थान रुड़िप्रयाग

(हस्ताक्षर प्राप्त)
अतिरिक्ती अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
अखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोटल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र-3

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या..... 7. परियोजना/स्कीम का स्थान	:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के तल निर्माण हेतु वन भूमि का लोण्डिण्ड के हस्तान्तरण।
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र।	:- उत्तराखण्ड
(ii) जिला	:- रुद्रप्रयाग
(iii) वन प्रभाग	:- केदारनाथ वनराजीव वन प्रभाग ओपेश्वर
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टे.में)	:- 1.610 हे.
(v) वन की कानूनी स्थिति	:- आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) व राज्य भूमि
(vi) हरियाली का घनत्व	:-
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम)और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. -4 मीटर भी संलग्न किए जाए)।	:- सूती संलग्न है।
(viii) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	:-
(ix) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जीवनपट्टल रिजर्व, बाध रिजर्व, हाथी कोरीकोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव पाईन की नमूनी अनुबंधित की जाए)	:- नही
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	:- नही
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सतत प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	:- नही
8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति दीजें क्या है।	:- प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है प्रमाण-पत्र संलग्न है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	:- मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया है अतः कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	:- संलग्न
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, मृ-खण्डों की संख्या प्रत्येक	:- संलग्न

- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर :- संलग्न
/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक :- संलग्न
वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय :-
परिव्यय।
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की :- संलग्न
उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट :- संलग्न
विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए(संलग्न करें)
12. प्रभाग /जिला प्रोफाइल :-
- (i) जिले का वन क्षेत्र :-
- (ii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में :-
लाया गया कुल वन क्षेत्र
- (iii) 1980 से जिला /प्रभाग में निर्धारित कुल :-
प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन :-
भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर :-
- (अ)तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई :-
प्रगति
- (क) वन भूमि पर :-
- (ख) वनेत्तर भूमि पर :-
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को :-
अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक :-
स्थान:-

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
ऊँचीमठ वन क्षेत्र
भुवनेश्वर

प्रभाषी वन अधिकारी
केदारनाथ नगर जीव प्रभाग
गीधेश्वर

भाग 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या :-
इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है
14. (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। :-
16. प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विरोध सिफारिशें। :-

हस्ताक्षर

दिनांक:-

नाम:-

स्थान:-

सरकारी मोहर

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। :-
- (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।) :-

हस्ताक्षर

दिनांक:-

नाम:-

स्थान:-

सरकारी मोहर

भाग V

18. राज्य सरकार सिफारिश।

(उपर्युक्त भाग II या भाग III या भाग IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

हस्ताक्षर

दिनांक:-

स्थान:-

नाम:-

सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जावु वैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्भर प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रेषित - मुख्य अभियन्ता (गठवाल क्षेत्र)
लो०नि०वि०पीडी

प्रा.सि.सं.वि० / वि०मि० 2005-06/24-0 /

दि० 29/03/2006

विषय - गठवाल क्षेत्र के जनपद रुद्रप्रयाग के लिए जिला योजना वर्ष 2005-06 के अन्तर्गत मार्ग/सेतु कार्यों के लिए लो०नि०वि०से प्राप्त आगणनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या 4622/वी०डब्ल्यू०डी/०१, दि० 13.9.01 द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के मार्गों/सेतुओं के नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों प्रदान करने का अधिकार उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अनु-2 के शासनादेश संख्या-750ई०-23-11-99 दि० 9.3.99 द्वारा निर्देशित मानकों / मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार तथा शासनादेश संख्या-2089 ई०/23 जो दि० 11-4ई०/99 दिनोंक 7.5.99 द्वारा प्रतिनिधित्व एवं सहलेखित शर्तों के तहत मण्डल आयुक्त को प्रतिनिधित्व किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी परिपेक्ष में जनपद चमोली हेतु पूर्व में आयुक्त गठवाल मण्डल पीडी के पत्रांक 926 / वि०मि० 05-06/24-4 दि० 4.2.06 द्वारा शास० - 303 एन०पी०डब्ल्यू०डी० /०१ दि० 15.12.2001 के क्रम में निर्धारित सिद्धान्तों के प्रस्ताव-७ के अनुसार रु० 351.92 लाख (रु. तीन करोड़ सत्तावन लाख बयानाबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

संशोधित शास०-56/11(2)05-47(बजट)05 लो०नि०अनु-2 दि० 17.1.06 में तद्विहित निर्देशों के तहत जनपद रुद्रप्रयाग की जिला योजना वर्ष 2005-06 के अवशेष कार्यों हेतु रु० 444.67 लाख (रु. चार करोड़ चत्तासीस लाख सारसठ हजार मात्र) की गई स्वीकृति के अनुसार संलग्न सूची के कार्यों पर एतद्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) शासनादेश संख्या 666/111(2)/०४-30(बजट)/०४ दि० 23 जून 2005 द्वारा वर्ष 2005-06 में उत्तरांचल की क्षेत्र की जिला योजना में नये सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु जनपद रुद्रप्रयाग में मार्ग/सेतु कार्यों पर फांट की सीमा तक रु० 230.00 लाख (रु. दो करोड़ तीस लाख मात्र) की धनराशि इन कार्यों को सम्मिलित करी हुये वाला वित्तीय वर्ष में खर्च किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) कार्य तब तक आरम्भ न किया जाय एवं उन पर कोई व्यय न किया जाय और उनके संबंध में किसी प्रकार का वित्तीय वादा न किया जाय जब तक की प्रश्नगत कार्य के संबंध में विस्तृत आगणन/ नक्शे आदि सक्षम अधिकारियों से प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर ली जाय।

उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जाय। अन्य योजना पर उक्तका उपयोग न किया जाय तथा स्वीकृति की प्रत्याशा में कदापि नहीं किया जायेगा।

कमरा-7

13/06
29/06/06
Photo copy attached

मुख्य अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि०
कलीकट (रुद्रप्रयाग)

मुख्य अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि०
कलीकट (रुद्रप्रयाग)

शुभारंभ दिनांक 15/05/2005 से 31/05/2005 तक 7.5.99 में निर्धारित गतिविधियों के अन्तर्गत मुख्य अभियंता (गो.पौ.) को निम्नलिखित गठबाल द्वारा निर्धारित कार्य के अन्तर्गत सम्पन्नित आदेशों की प्रतियाँ शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि बजट में मुख्य के पैस-94 के अन्तर्गत सक्षम स्तर में औपचारिक अनुमोदन प्राप्त कर भविष्य में स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में प्रशासकीय विभाग के सत्यापित हो निर्धारित की जा सके।

(6) जिला योजना के अन्तर्गत सम्पन्न आधुनिक का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाय तथा अन्य को आवंटित धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जाय।

(7) उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्यय के अनुदान संख्या-22लेखाशीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर कुटीरन परियोजना -04 जिला तथा अन्य सड़कें - आयोजनागत-800- अन्य व्यय -91 जिला योजना -06 23 गृहस्त निर्माण कार्य में उल्लिखित सुरंगत प्राथमिक ईकाईओं के काम चला जायेगा।

(8) उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग की कार्यशालाकीय पत्रांक 575/वित्त अनुभाग 3/05 दि. 21 जून, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न जनपद रुद्रप्रयाग की योजनाओं की लागत सूची

महदीय.

(सुभाष कुमार)

आयुक्त

गठबाल मण्डल पौड़ी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तरांचल सहारनपुर रोड और राय विलिंग भंजरा देहरादून।
2. सचिव, लो.नि.वि. उत्तरांचल शासन देहरादून।
3. निर्देशक, योजना विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।
4. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
5. मुख्य अभियंता स्तर-1, लो.नि.वि. देहरादून।
6. अधीक्षण अभियंता 38वीं बृत्त लो.नि.वि. गो.पै.पर।
7. अधि.अभि. प्रा.ख. लो.नि.वि. रुद्रप्रयाग।

आयुक्त
ल.नि.वि.
ल.नि.वि. (गो.पौ.)

आयुक्त
गठबाल मण्डल पौड़ी

पत्र संख्या 905/18 मालायाल-28/06 दिनांक 29.6.06

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
आयुक्त को अवगत कि उपर्युक्त उपलब्ध आदेशों के अन्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में कार्य चलाया जाय तथा अन्य को आवंटित धनराशि की सीमा तक सीमित रखा जाय, एवं कार्य सुपरीवेक्षण का भी अभाव पर्य्य असुल किया जाय।
संलग्न - सूची संख्या 1

आयुक्त
ल.नि.वि.
ल.नि.वि. (गो.पौ.)

पत्र संख्या

कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सक्षम सहायक अभियंता लो.नि.वि. देहरादून
2. ऊ. अभि. (प्र.) जिला एवं जिला
3. जिला को.

निर्माण ल.नि.वि. (गो.पौ.)

जीव निर्माण विभाग का जिला योजना वर्ष 2005-06 के अनुसार सड़क निर्माण कार्य / पुल पुलियों का निर्माण कार्य जिनकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आयुक्त गढ़वाल गण्डल पोली के पत्रांक 1508/24-4 / जियो/05 दिनी द्वारा प्रदान की गई है का सारगर्भक।

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० स्थान मी०	लागत लाख रु में
1	2	3	4
1	गुराधार से बामक मोठमार्ग का निर्माण	2.00	33.60
2	कुलमागाड से सुरवाल तक मोठमार्ग निर्माण	2.00	33.60
3	गुराड दामकोट चौका मोठमार्ग का निर्माण	2.00	33.60
4	बलभल्ला देण्ड से निचोलाक मोठमार्ग का निर्माण	2.00	33.60
5	जमली - सरदार काई पारा से मन्वारसू कालीनी	2.00	33.60
6	गुराधार - कापडई मोठमार्ग	1.00	18.30
7	उपशित से जामरी होवाठमार्ग को मोठमार्ग में बदल कर डामरीकरण	1.00	20.40
8	मोहनवाल साठन होवाठ को मोठमार्ग में बदल कर डामरीकरण	0.50	10.20
9	कापडई - कालीनी मोलवावाल मोठमार्ग पर डामरीकरण	2.00	36.60
10	पडाडी - पडाडी होवाठमार्ग को मोठमार्ग में बदल कर डामरीकरण	1.00	20.07
11	मन्वारसू - रसुडी मोठमार्ग का डामरीकरण	0.50	9.15
12	कोटमा से चौमाडी (बट्टान वाले स्थान पर)	1.00	18.30
13	जमासू - सललेक मोठमार्ग (सनिधाना बाजार में)	1.00	18.30
14	रतनापुर स्वीली - सेम मोठमार्ग का डामरीकरण	2.00	36.60
15	बलभल्ला से बसुकेदार जाने वाले रास्ते पर 15मी० स्थान पैदल स्टील गडर।	15मी०	16.60
	पिंडा मार्ग का निर्माण।	एक पुरत	1.60
16	बरवाली गडर पर 15मी० स्थान स्टील गडर पुल पटुव मार्ग निर्माण	15मी० एक पुरत	18.00 1.55
17	मवाली - रणधार मोठमार्ग के किमी० 14 में खलिगाण घराट के पास स्टील गडर पुल निर्माण।	18मी०	30.00
18	सुक्के भावदेय से रवाण - कालशिला सिहपीठ में मन्वारसू कांड पर 18मी० विहार के पैदल स्टील गडर रोड पटुव मार्ग निर्माण	18मी० एक पुरत	19.92 1.00
(कु. व्यय करोड मवालीग लाख सरसठ हजार मात्र)			444.67

गुराड अभियन्ता (गो.सो.)
जिला निर्माण विभाग

जि.सो. जिला अभियन्ता

आयुक्त,
गढ़वाल गण्डल

Photocopy attested

सुनिधाना अभियन्ता
निर्माण एवं लो. वि. वि. वि.
जिला (गढ़वाल)

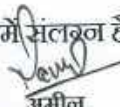
सुनिधाना अभियन्ता
निर्माण एवं लो. वि. वि. वि.
जिला (गढ़वाल)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 14/12/2015 को राज्य भूमि में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री देवी प्रसाद गैरोला व०आ० गुप्तकाशी, श्री उदय सिंह रावत वन दरोगा अनुभाग गुप्तकाशी व दिनांक 23/06/2016 को आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) में संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय (केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर) वन विभाग की ओर से श्री धनीलाल वन दरोगा अनुभाग कोटमा एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री मनोज असवाल रा०उ०नि० कालीमठ एवं लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री प्रदीप सेमवाल (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री विष्णुदत्त नौटियाल (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार राज्य भूमि 0.400 है० व आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) 1.210 है० अर्थात् कुल वनभूमि 1.610 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, आवेदित वनभूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प / संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रस्तुत परियोजना जनहित में किया जाना है, व इस परियोजना के निर्माण से 1 गाँव व 311 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 46 वृक्षों व का पातन निहित है। जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

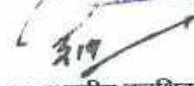

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


राजस्व उप निरीक्षक
कालीमठ

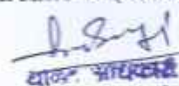

धनीलाल
ऊखीमठ
वनपद रुद्रप्रयाग


उपजिल्हाधिकारी
ऊखीमठ


केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर
(पथेली)


केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)


उपप्रभागीय वनधिकारी
ऊखीमठ वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


जिल्हाधिकारी
रुद्रप्रयाग

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath (For diversion under FCA-1980) of 1.610 ha. forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of jaal bend to chilond Motor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-----.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 1.610 ha.g

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:-

a). The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act. 1980 and no work has been started without proper sanction.

b). It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act. 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation), Act. 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place-----

Name-----

Date-----

Designation-----

Office Seal-----

N.B. X State the purpose of which the forest land is proposed to be diverted.

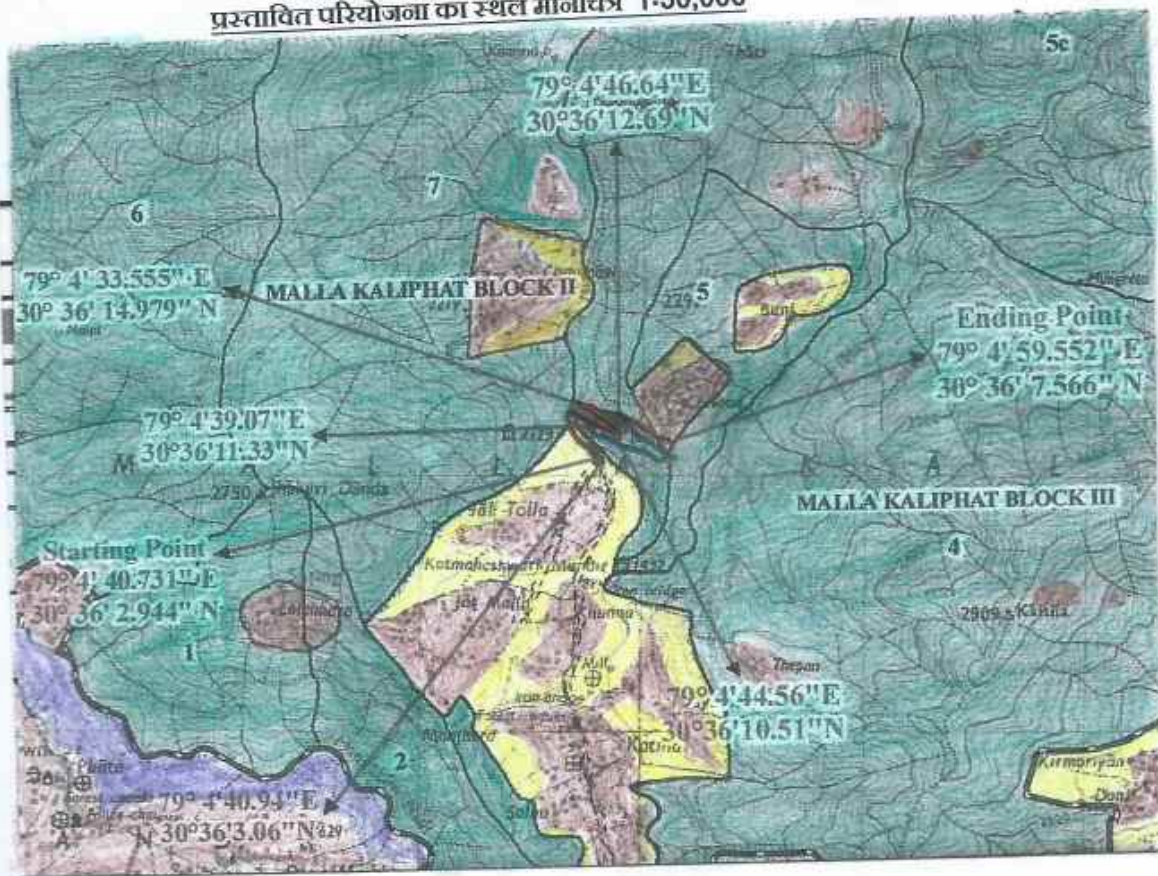
XX Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required

प्रपत्र-8

परियोजना का नाम- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बंध से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नष्ट निर्माण हेतु वन भूमि का लोनिवि को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र 1:50,000



[Signature]
अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
राजेश्वर उप निरीक्षक
कालीमठ

[Signature]
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
सहायक अभियन्ता
ननपद रुद्रप्रयाग
उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

1	प्रस्तावित मोटर मार्ग	
2	वैकल्पिक संरेखण	
3	मुख्य मोटर मार्ग	
4	आरक्षित वन भूमि	
5	पंचायती वन भूमि	
6	राज्य भूमि	
7	नाप भूमि	
8	आवादी क्षेत्र	
9	नदी एवं नाला	

[Signature]
वन क्षेत्र अधिकारी
केंद्रीय वन प्रभाग
गोपेश्वर

[Signature]
प्रभागीय वन अधिकारी
केंद्रीय वन प्रभाग
गोपेश्वर

[Signature]
उपप्रभागीय वन अधिकारी
केंद्रीय वन प्रभाग
गोपेश्वर

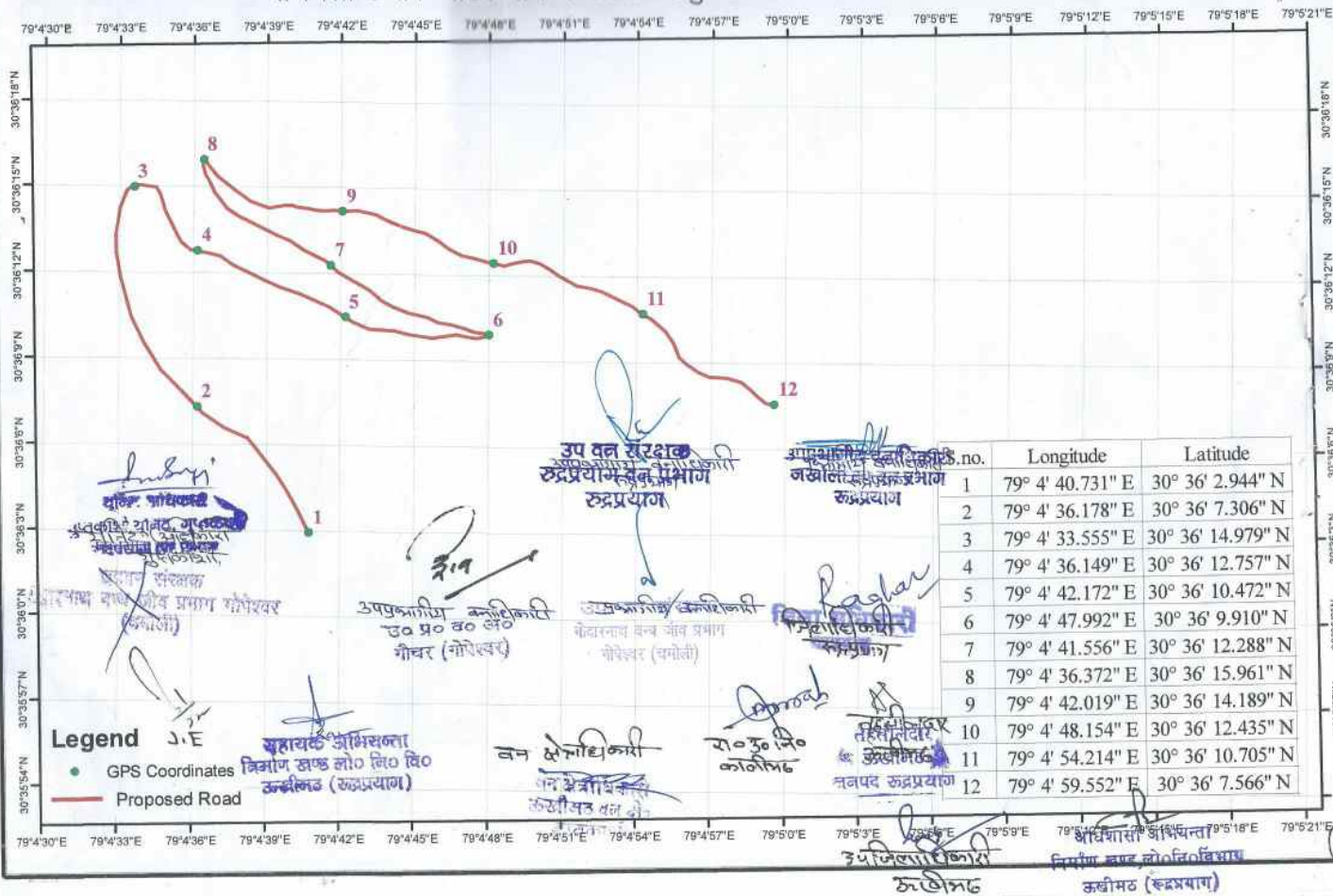
[Signature]
अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
उपप्रभागीय वन अधिकारी
केंद्रीय वन प्रभाग
गोपेश्वर

[Signature]
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

[Signature]
उपवन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Scale = 1:5,000



परियोजना का नाम— जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० का हस्तान्तरण।

वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग का सीमान्त गांव-चिलौण्ड (कुल आबादी 311) वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा प्राप्त करने जहां विद्यार्थियों को प्रतिदिन 2.00 कि०मी० पैदल चलकर ग्राम कोटमा आना पड़ता है वहीं स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिये ऊखीमठ या गुप्तकाशी आना पड़ता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को 2.00 कि०मी० की पैदल दूरी तय करने से राहत मिलेगी तथा आम जनता का तहसील मुख्यालय, ब्लाक तथा चिकित्सालय आदि से सम्पर्क स्थापित हो जायेगा।

प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण जिस क्षेत्र में होता है उसका अधिकतम भाग कंदारनाथ कस्तूरी मृग वन्य जीव अभ्यारण में है जिस हेतु भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति ले ली गयी है (प्रतिलिपि प्रस्ताव के साथ संलग्न है)। आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त इस क्षेत्र में सिविल वन भूमि है। समरेखण में ली गयी आवेदित वन भूमि अपरिहार्य है।

अतः ली गयी 1.610 है० वन भूमि न्यूनतम है। समरेखण का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि समरेखण पर कम से कम वन भूमि पड़े तथा कम से कम वृक्षों के पातन की आवश्यकता हो।



असीम
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



महसयक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

संरक्षण आख्या

कार्य का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में जाल बैण्ड से चिलोन मोटर मार्ग का नव निर्माण।
मार्ग की स्वीकृति:- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी के पत्रांक 1568/जि.यो. 2005-06/24-4 दिनांक 29-03-2006।

स्वीकृत लम्बाई:- 2.00 किमी.
लागत :- 33.80 लाख रु.

संरक्षण की उपयोगिता:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जिला योजना में प्रस्तावित जाल बैण्ड से चिलोन मोटर मार्ग 2.00 किमी. लम्बाई में है। यह मार्ग कालीमठ-लोटमा जाल-चौमासी मोटर मार्ग के किमी. 17.00 से निकलता है। इस संरक्षण में क्रमशः 2 एच.पी. बैण्ड प्रस्तावित है। प्रस्तावित संरक्षण से ग्राम चिलोन मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा। जो वर्तमान में मैदल मार्ग से जुड़ा है तथा इन ग्रामवासियों को आवागमन एवं व्यापार में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई के निर्माण हो जाने से उपरोक्त समस्या ग्रामवासी प्रत्यक्ष रूप से मार्ग से जुड़ जायेंगे।

संरक्षण का विवरण:- सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर मान चित्र पर समरक्षण नं. 1 एवं 2 क्रमशः लाल व हरे रंग से दर्शाये गये हैं। जिसमें संरक्षण नं. 1 (लाल रंग) पर जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार समरक्षण नं. 1 ही उचित है।

अतः संरक्षण (1) जो कि लाल रंग से अंकित है अनुमोदन हेतु प्रेषित।

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
कालीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरंखण (1) लाल रंग में	समरंखण (2) हरे रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	यह मार्ग गुप्तकाशी-कालीमठ-कोटमा जाल हैण्ड से चौमासी के किमी. 17 से निकलता है।	समरंखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरंखण की लम्बाई	2.00 किमी.	2.45 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) वन भूमि (रिजर्व फारेस्ट) (ब) कृषि योग्य भूमि (स) सिविल भूमि	2.00 किमी. — —	2.45 किमी. 0.40 किमी. —
5.	सूर्य प्रकाश का भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	0.100 किमी. लगभग
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर अत्यधिक कठोर चट्टान आदि	मिट्टी, पत्थर कठोर चट्टान
8.	वनस्पति	—	—
9.	मार्ग का ढाल	1:22 प्रतिशत	1:22 से 1:24 प्रतिशत
10.	अनुप्रस्थ ढाल—1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	2.00 किमी. शून्य	2.45 किमी. शून्य
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	0.200 किमी. 1.80 किमी.	0.45 किमी. 2.00 किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	0.500 किमी.
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	शून्य 1 नं.	शून्य 1 नं.
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरंखण नं. 1 अनुसार

Photocopy attested

सुप्रायक-अधिकारी
जिम्मावर संख्या 100/10-110
अन्वेषक (उप-अधीक्षक)

PWD/PeeI-29

J.E.

म. 6.

क्रमशः - 2-

25

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग से	समरेखण (2) हरा रंग से
1	2	3	4
16.	लाभायिन्ता ग्रामी की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या चिलौन 00197300 311	समरेखण नं. 1 अनुसार
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह मार्ग मुलकाशी-कालीमठ-कोटमा जाल वैण्ड से चौमासी के किमी. 17 से निकलता है।	समरेखण नं. 1 अनुसार
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्गों से जुड़ जाने के कारण मार्ग पर्यटन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।	समरेखण नं. 1 अनुसार
19.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे आलु, मल्टा, नींबू, नारंगी व. दालो आदि का हुलान स्थानीय बाजार में आसानी से होने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
20.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटि एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
21.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार

JE.

AE.

क्रमशः - 3 -

Photocopy attached

सहायक सचिव
विशेष जल संचयन विभाग
पटना (बिहार)

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग से	समरेखण (2) हरा रंग से
1	2	3	4
22.	लाम व हानि	1. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 2. 2 न. एच.पी. बैंड पड़ेंगे। 3. वृक्षों की हानि की कम सम्भावना है। 4. इस समरेखण से क्षेत्र की आम जनता सन्तुष्ट है।	1. कठोर चट्टान अधिक पड़ेगी। 2. 2 न. एच.पी. बैंड पड़ेंगे। 3. वृक्षों की अधिक हानि होना सम्भावित है। 4. इस समरेखण पर पुल का स्थान अधिक आने अस्थिर व भूस्खलित क्षेत्र को देखते हुए क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photocopy attested
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सारांश

संलग्न तुलनात्मक से स्पष्ट है कि समरेखण संख्या 1 जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी दृष्टि से उपयोगी है। इस समरेखण से जनता संतुष्ट है।

अतः समरेखण नं. 1 जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, स्वीकृति की संस्तुति सहित स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता है। मार्ग केवल 2.00 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कटोर चट्टान, कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः समरेखण 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photocopy attested

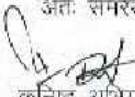

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी दैर्घिक समरंखण को कार्य स्थल पर मेरे द्वारा दर्शायी गयी तिथि को निरीक्षण के समय देख लिया गया है। तथा प्रस्तावित समरंखण को कार्य स्थल की तकनीकी दृष्टि से उचित है।

1. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 15-2-07
2. सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 15.2.07
3. अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 7.3.07

अतः समरंखण नं. 1 जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, का अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photocopy attached


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक संमोदनों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ रेंज


उपप्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


मुख्य अभियन्ता
जिला योजना, रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ रेंज, रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के लव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (है.मै)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	अन्य कारण (एच.पी.वैण्ड व अन्य मू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	1.610	46	2.00	-
संरेखण-2	1.610	68	2.00	अधिक वृक्षों का पातल व सेतु की लम्बाई अधिक है।

उक्त दोनों समरेखणों में से समरेखण No. 1 (एक) उपयुक्त है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-14

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित राज्य व संरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित **1.610** है. राज्य भूमि व आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) वनभूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


राजेश्वर उप निरीक्षक

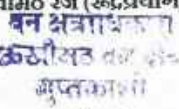

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

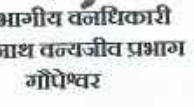

उपनिर्देशिका
ऊखीमठ

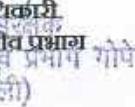

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

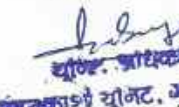

उपनिर्देशिका
ऊखीमठ


उपनिर्देशिका
ऊखीमठ


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

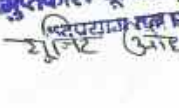

उपनिर्देशिका
ऊखीमठ

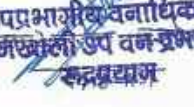

उपनिर्देशिका
ऊखीमठ


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उपनिर्देशिका
ऊखीमठ


उपनिर्देशिका
ऊखीमठ


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उपनिर्देशिका
ऊखीमठ


उपनिर्देशिका
ऊखीमठ


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उपनिर्देशिका
ऊखीमठ


उपनिर्देशिका
ऊखीमठ


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उपनिर्देशिका
ऊखीमठ


उपनिर्देशिका
ऊखीमठ

प्रपत्र-15

लैंड शैड्यूल
(संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से तिलीण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो/नि/वि का हस्तांतरण।

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है.)
रुद्रप्रयाग	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग	ऊखीमठ वन क्षेत्र गुफाखोरी रेंज	भालनाथ वन्य जीव प्रभाग केदारनाथ रेंज	1500	7	1.05 मोटर मार्ग हेतु + 0.160 मुक्त इम्पियन हेतु - 1.210


अधीन
निर्माण स्वण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण स्वण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण स्वण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीन अभियन्ता
निर्माण स्वण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन अधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)


अपभ्रान्तीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गीधेघर


प्रभारी वनधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गीधेघर (विहारी)

प्रपत्र-15.1
लैंड शीड्यूल

परियोजना का नाम:- ग्राम योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से विलाण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लीमिनिट को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणी:-

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकबा	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है.)
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ	ऊखीमठ	1044	11.943 हे.	500	7	0.350 + 0.05 गज डिम्पोजत हेतु = 0.400


अधीक्षक
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक उप निरीक्षक
ऊखीमठ


तहसीलदार
ऊखीमठ
ऊखीमठ
रुद्रप्रयाग


उप निरीक्षक
ऊखीमठ


निरीक्षक
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-16

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से चित्तौड़ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि (अरक्षित) (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मकड़िपगं हेतु	1500	7	1.05 0.160 = 1.210
2	राज्य भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मकड़िपगं हेतु	500	7	0.350 0.05 = 0.400
3	वन पंचायत भूमि अन्य श्रेणी की वन भूमि (खटे लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य
	वनभूमि का योग:-	2000	7	1.610
4	गाप भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल योग:-	2000	-	1.610


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

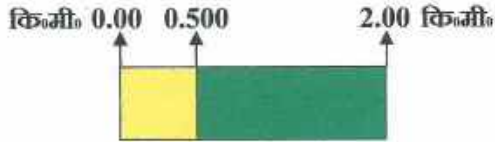

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


अभियन्ता अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्रपत्र-17

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लोनिवि को हस्तान्तरण।

बारचार्ट का प्रारूप



संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे० म०)
आरक्षित वनभूमि (संरक्षित)	हरा	1.05 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.160 मक डिस्पोजल हेतु = 1.210
राज्य भूमि	पीला	0.350 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.05 मक डिस्पोजल हेतु = 0.400
नाप भूमि	शून्य	शून्य

[Signature]
अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]

अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]

राजस्व उप निरीक्षक
कालीमठ

[Signature]
तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

[Signature]

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

[Signature]

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)

[Signature]

उपप्रभारी वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

[Signature]

प्रभारी वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर
(चिलौण्ड)

[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
रुद्रप्रयाग

[Signature]
उपप्रभारी वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
रुद्रप्रयाग

[Signature]
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

[Signature]
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-18

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिष्ठासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
वन क्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन क्षेत्र
वन्यजीव

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लीज/वि. करे हस्तान्तरण।

प्रस्तुत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 23/06/2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आरक्षित वनभूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्राभावित होने वाले वृक्षों की गिनतीनुसार गणना की गयी :-

आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) पर प्रभावित पेड़

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	अबू वज्र II वज्र सं० 10	पीड़	03	14	18	04	02	02	02	0	0	45

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (खण्डाखण्ड)
वन विभाग
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
मुख्यालय

उपप्रभोगीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
मोरेण्डार

प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
मोरेण्डार
(संलग्न)

प्रपत्र - 20.1

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग									योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि (संरक्षित)	03	14	18	04	02	02	02	0	0	45
2	सिविल सोयम	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01
3	वन पंचायत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	03	14	19	04	02	02	02	0	0	46
4	नाप भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल योग	03	14	19	04	02	02	02	0	0	46

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ डेज (रुद्रप्रयाग)

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
ऊखीमठ डेज (रुद्रप्रयाग)

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
ऊखीमठ डेज (रुद्रप्रयाग)

प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
ऊखीमठ डेज (रुद्रप्रयाग)

जलसंधि - राजस्थान में प्रधानमंत्री आवा संधि योजना के अंतर्गत प्रस्तावित जल संधि से चिली के ओर
वर्षा सिंचन हेतु संयुक्त निधि (दिनांक 14-12-2015) की अंतर्गत वृद्धि की गणना करनी (प्रक. जल संधि सिंचन)

गंगा निर्माण हेतु संयुक्त विधायी (दिनांक 14-12-2015) का आदेश													
नदी का लंबाई से मीटर में													
क्र.सं.	प्रकार का नदी	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग	टिप्पणी
1	कुकराट	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01	(एक टुकड़ा)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01	
(नदी प्रकार के अनुसार) बनाने सुदामाजी की (इस निर्माण के लिए) बनाने सुदामाजी की													

जनपद - रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैंड से चितौण्ड प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची। (दिनांक 23/06/2016)

मलाकालीफाट II का सं० 10

क्र.सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग से०मी० में									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	मलाकालीफाट II का सं० 10	चीड़	03	14	18	04	02	02	02	0	0	45


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊस्तीमठ (रुद्रप्रयाग)


कमलजित अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊस्तीमठ (रुद्रप्रयाग)


मान देयणी
कोटमा अनुभाग


छावून संचालक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग मंडी/प्रयाग
(कालासी)


वन क्षेत्राधिकारी
ऊस्तीमठ वन विंड
गुप्तकाशी

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चित्तौड़ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने पेड़ों का कुल मूल्य ₹ 115260.00 आंकलित किया जाता है।


वनक्षेत्राधिकारी
केदार नाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रूद्रप्रयाग)
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन, पंजाब
गुप्तकाशी


उपप्रभोगीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभोगीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत राज्य भूमि में काटे जाने वाले पेड़ों का कुल मूल्य ₹ 438.00 आंकलित किया जाता है।

h. d. y.
उप निदेशक
वन संरक्षण
रुद्रप्रयाग

h. d. y.
उप निदेशक
वन संरक्षण
रुद्रप्रयाग

h. d. y.
उप निदेशक
वन संरक्षण
रुद्रप्रयाग

वृक्षों की मूल्य सूची

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से तिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लोनिधि को हस्तान्तरण।

क्र.स.	प्लॉक/खस	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास से.मी.	दर प्रति पेड़	कुल धनराशि	रिप्लनी
1	मलाकालीफाट II क्रोसिंग 10	पीड़	Pinus Roxburghii	03	10-20	240.00	720.00	
	-	-	-	14	20-30	600.00	8400.00	
	-	-	-	18	30-40	2330.00	41940.00	
	-	-	-	04	40-50	5070.00	20280.00	
	-	-	-	02	50-60	8565.00	17130.00	
	-	-	-	02	60-70	13200.00	26400.00	
2	जाल तल्ला	तुक्काट	Andromeda	01	30-40	390.00	390.00	
	योग	-	-	46	-	-	115260.00	


उप-प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊस्तीमठ रोड (कदपुसावाग)
ऊस्तीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी


प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

वृक्षों की मूल्य सूची

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

क्र.स.	ब्लाक/ग्राम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास से.मी.	दर प्रति पेड़	कुल धनराशी	टिप्पणी
2	जाल तल्ला	कुकाट	Andromeda	01	30-40	438 = 0 390.00	438 = 0 390.00	
	योग	-	-	01	-	-	390.00 438 = 0	

उपप्रभाग वन अधिकारी
जिला उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर
जिला वन अधिकारी
गुप्तकाशी यूनिट गुप्तकाशी

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र - 21

परियोजना का नाम— जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लोनीनिति की हस्तान्तरण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का चित्रण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले 46 वृक्षों का पता लगाना किया जाता है।


वनविशेष अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
कसीमत (रूद्रप्रसाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
कसीमत (रूद्रप्रसाग)


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
कसीमत (रूद्रप्रसाग)


वनक्षेत्राधिकारी
केन्द्र नाल वन्य जीव प्रभाग,
कसीमत क्षेत्र (रूद्रप्रसाग)
वन क्षेत्राधिकारी
कसीमत वन क्षेत्र
मुप्तकाशी


उपप्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केन्द्र नाल वन्य जीव प्रभाग
मुप्तकाशी


प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केन्द्र नाल वन्य जीव प्रभाग
मुप्तकाशी
श्रीधर गोमेस्वर
(मुप्तकाशी)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से राज्य भूमि में प्रभावित होने वाले 1 वृक्ष का पातन किया जाना है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)


अतिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)


यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी यूनिट गुप्तकाशी,


उप निदेशक वन विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन विभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-22

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाला बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के लव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

बांज वृक्षों के पातल का प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदिता वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये गैर द्वारा दि० _____ को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

क्र.सं.	वन क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
						शून्य						

वन संरक्षक

प्रपत्र-24

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिक्षासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी


उपप्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर


उपप्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-25

परियोजना का नाम:— जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण से दूरी व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दूरी 0.50 कि०मी० है। वन्य जीव अभ्यारण के अन्तर्गत है।
(मूल्य)


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


वनक्षेत्राधिकारी
गुप्तकाशी थाना, गुप्तकाशी
सहायक वन अधिकारी
यूनिट उम्मेदगारी


उपप्रभागीय वनधिकारी
ऊखीमठ वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
पञ्चसूक्त वन्यजीव प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा ~~नहीं~~ है।

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी

उपप्रभागीय वन्यजीव अधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर
(दिनांक)

गुप्तकाशी यू.मट. गुप्तकाशी
जिला प्रशासन
गुप्तकाशी

उपप्रभागीय वन्यजीव अधिकारी
ऊखीमठ उप वन प्रभाग
ऊखीमठ

उप वन संरक्षक
ऊखीमठ उप वन प्रभाग
ऊखीमठ

210
541
1/08/2016

No. 79/2015 WL (35th Meeting)
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Wildlife Division

Indira Paryavaran Bhawan
For Bag, Kozh, Aliganj
New Delhi-110003
Dated: 24.08.2015.

The Principal Secretary (Forests)
Department of Forests
Government of Uttarakhand
87, Sachdevaiya, Rajpur Road
Dehradun-248004.

18/

Sub: Minutes of the 35th Meeting of Standing Committee of NBWL

During the 35th Meeting of Standing Committee of NBWL held on 18th August 2015 under the Chairmanship of Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Environment, Forests and Climate Change, the following proposal pertaining to your State was considered. The relevant portion of the decision taken in respect of the proposal is reproduced below:

"1. Diversion of 1.62 ha of forestland from Kedarnath Musk Deer Wildlife Sanctuary for construction of road from Jalmalla to Chidand village, Uttarakhand.

The member secretary briefed the committee on the proposal. He informed that road was an existing cart road and required up gradation. After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal to facilitate connectivity to the inhabitants of the village. The conditions suggested by the Chief Wild Life Warden were agreed to."

The above recommendation(s) are subject to the existing directives of Hon'ble Supreme Court and provisions of Forests (Conservation) Act, 1980.

Yours faithfully

R. Raja Sekhar
(Rajasekhar Ratti)

Scientist 'C'/Deputy Director (WL)

Copy to:

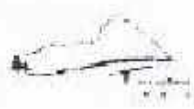
1. The Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand, 9, Chaudhary, Mahabowala, Dehradun-248 001
2. The Addl. Chief Conservator of Forests, Ministry of Environment & Forests, Regional Office (CZ), Kendriya Bhandar, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.
3. The Joint Secretary, I.A. Division, MoEF & CC,
4. The Inspector General of Forests, IA Division, MoEF & CC

R. Raja Sekhar
(Rajasekhar Ratti)
Scientist 'C'/Deputy Director (WL)

25/8/16
07/09/16
23/9

24
04/09/16
22/9

Photocopy attested
सहायक अभियन्ता
निमाण अण्ड लो० नि० वि०
ऊर्जा (संरक्षण)



75



RAJAJI

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड

ई-मेल: cmw@wlsn.org.in email: cmw@wlsn.org.in

पत्र संख्या शिठ 647 / 12-1, दिनांक, शिविर, देहरादून, सितम्बर 9, 2015
सोदा में

उप वन संरक्षक,
कैदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य,
गोपेश्वर।

विषय - Diversion of 1.62 ha of forestland from Kedarnath musk Deer Wildlife sanctuary for construction of road from Jalmalla to Chilond village, Uttarakhand.

संदर्भ - Scientist 'C' Deputy Director (WL) GOI, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bag Road, Aliganj, New delhi letter no. 6-79/2015WL(35th Meeting) dated 24-08-2015

महोदय
संदर्भ में अंकित पत्र की प्रतिलिपि आपके सुचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है। राष्ट्रीय वन्यजीव यादों की 35वीं बैठक में विषयक प्रकल्प पर तब की निर्णयों से सम्बन्धित को अपने स्तर से भी अग्रगण्य करा देवे।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

345/17/14 दिनांक 09/09/15
Copy to A.E. IV for preparation of lane transfer proposal as per guideline.
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) /
उप वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड
6-79

संख्या 647 (1) / 12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि - निदेशक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर को सुचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजता।
प्रतिलिपि - अधिवासी अभियन्ता प्रमुख डी० ए० सी० आई० सि० रावाई खण्ड, रुद्रप्रयाग को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजता।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

photo copy attested
मुख्य वन्यजीव
निर्माण कार्य डी० सि० सि०
कर्मचारी (सहायक)

(डी० सी० ए० सी० आई० सि०)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) /

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लॉन्गि०वि० को हस्तान्तरण।

मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्यजीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

संवा में

श्रीमान कावेरिशाली अभियन्ता लो० नि०
वि० उस्तीमर

महोदय - जिला ताला से चिलोड का
जो सर्वे कार्य हुआ उसे हम सभी
ग्रामवासी सहमत हैं, इस सर्वेक्षण से हमें
कोई आपत्ति नहीं है,

को० उ० अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
जिला ताला लो० नि० वि०
उस्तीमर (अध्याग)

पुष्प ग्राम पंचायत
जिला ताला

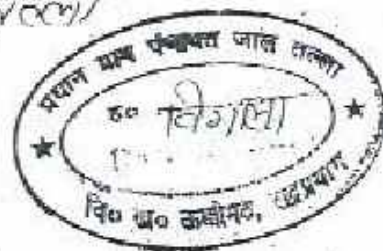


photo copy Attached.

सहायक अभियन्ता
जिला ताला लो० नि० वि०
उस्तीमर (अध्याग)

प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No. 1/1

Dated 26/12/16

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.610** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Construction of Jaal band to chilond Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **chilond** villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.610** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

[Signature]
जिला मजिस्ट्रेट

District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

प्रपत्र-30.1

Annexure -

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langer (IAS), District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 06.10.16, at time 2.2 Pm in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 1.610 hectare for the construction of Construction of Jaal band to chilond Motor Road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.


जिला सचिवारी
रुद्रप्रयाग

**District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.**

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लोनीकरण को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण - पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.210 हे० आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) व 0.400 हे० राज्य भूमि अर्थात् कुल 1.610 हे० वनभूमि का लोनी निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- ऊखीमठ) की दिनांक 22.09.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उत्तम सिंह चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|---------|
| 1- श्री उत्तम सिंह चौहान | उपजिलाधिकारी | ऊखीमठ | अध्यक्ष |
| 2- श्री विनय कुमार | उपप्रभानीय वनधिकारी | ऊखीमठ | सदस्य |
| 3- श्री राजीव कुमार | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | ऊखीमठ | सदस्य |
| 4- श्री श्री सोनी देवी | वैद्यकीय सेवा | ऊखीमठ | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.610 हे० वनभूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनधिकार का कोई मामला तमिल नही है। उक्त भूमि का संबन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गयी है।

संबन्धित उपप्रभानीय वनधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी आवेदन का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.610 हे० वनभूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
ऊखीमठ (सदस्यालय)
सहायक समाज कल्याण अधिकारी

उप प्रभानीय वनधिकारी
उप प्रभानीय वनधिकारी
मोपेवर

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ऊखीमठ - रुद्रप्रयाग
जबलपुर

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ, जबलपुर - रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के लव निर्माण हेतु वन भूमि का लोकनिर्माण को हस्तांतरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-

तहसील:- ऊखीमठ,

जिला:- रुद्रप्रयाग,

अनापति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड के जलपद - रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के लव निर्माण हेतु 1.210 है० आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) व 0.400 है० राज्य भूमि अर्थात् कुल 1.610 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18/08/2016 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा आवेदित वनभूमि के संम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित आरक्षित (संरक्षित) व राज्य वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चिलौण्ड के ग्रामवासियों को उक्त आरक्षित (संरक्षित) व राज्य वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



परियोजना का नाम:- विला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चितौड़ तक मोटर मार्ग के लव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

दिनांक 18/08/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - चितौड़

क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेन्द्र सिंह पुत्र उदय सिंह	राजेन्द्र
1	कृपाल सिंह पुत्र इयाभ सिंह	कृपाल
2	भगत सिंह पुत्र लव सिंह	भगत सिंह
3	राजेन्द्र सिंह पुत्र देव सिंह	राजेन्द्र
4	दिलवर सिंह पुत्र - नन्द सिंह	दिलवर सिंह
5	प्रदीप सिंह पुत्र - नन्द सिंह	प्रदीप सिंह
6	विश्वान सिंह पुत्र इयाभ सिंह	विश्वान सिंह
7	गंगा सिंह पुत्र इयाभ सिंह	गंगा सिंह
8	पूजा देवी पत्नी अनिल सिंह	पूजा
9	पुष्पा देवी पत्नी विनोद सिंह	पुष्पा देवी
10	बंजू देवी पत्नी विक्रम सिंह	बंजू देवी



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता-एवं विभागाध्यक्ष
उत्तरखण्ड लोक निर्माण विभाग,
देहरादून

भू-गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0- 976/सड़क/पुल सम्प्रेषण/गढ़वाल/2016

**Geological Assessment of the 2 km long alignment
corridor proposed for Jal Bend to Chilond motor
road, Distt. Rudraprayag.**

07-04-2016

Geological Assessment of the 2 km long alignment corridor proposed for Jal Bend to Chilond motor road, Distt. Rudraprayag.

Vijay Dangwal

07.04.2016

1- Introduction:- The Construction Division, PWD Ukhimath has been entrusted for the construction of 2 km long motor road namely Jal Bend to Chilond motor road, located in Ukhimath Block, Distt. Rudraprayag. On the request made by Er. Manoj Das, Executive Engineer I carried out the geological assessment of the proposed alignment on 28.02.2016. Er. Sandeep Semwal, Asstt. Engineer also accompanied the site visit.

2- Location:- The alignment corridor of the above said motor road originates from Jal Bend located on Kalimath-Kotma Jal Chaumasi motor road and it passes on the right bank slope of river Kali for half km length and thereafter 1.5 km on the left bank. This area is located in Ukhimath Block, Distt. Rudraprayag.

3- Geological Assessment:- Geologically, the alignment corridor proposed for the construction of the above said motor road lies in a part of Higher Himalaya close towards north of the Main Central Thrust (MCT). The terrain containing it is characterised by the rugged and dissected topographical features having lofty mountains, steeply inclined drains and deeply dissected river gorges. This area is exposed by the varieties of schists and gneisses grouped under the Central Crystallines. The cross slopes of the alignment between cross section 00/00 to cross section 00/20 are inclined at steep angle between 60° to 65° oriented towards N 050 direction and thereafter becomes very steep upto 70° towards N 240 direction. River Kali dissects these opposite oriented slope facets and it has generated a large slide zone on the right bank which is continuously progressing headwards and its crown it has been shifted upto 150 m from the river bed level. The half km long alignment of the proposed road passes across the slope affected by this massive landslides which was generated in 2013 direction. The slope face across this slide affected alignment corridor are exposed by the large scanty angular rock fragments which are slightly embedded in the silty clay matrix. As reported by the villagers these boulders moves down the slope during rainy season at various rates. The left bank slopes of river Kali across which the alignment passes are comprised of massive, hard, compact and slightly weathered rock mass. These rock masses are dissected by four prominent joint sets. All the joint sets dissecting these rock masses are widely spaced to one another and the surfaces of these joints are moderately rough to moderately smooth in nature. The material exposed between cross section 00/20 to 01/40 is physically quiet competent. As per the estimation made at the site the "Uniaxial Compressive Strength" of these rock masses was found ranging between 200 MPa to 250 MPa. This part of the alignment slopes are stale and free from any mass wasting activity.

As the starting half km part of this alignment corridor passes across the chronic landslide zone. In order to avoid this section the entire area was investigated to re-align the alignment but no ground was found suitable. Considering the various probability for the road construction it

was advised to construct a temporary road all along this half km landslide affected area with the help of wire crates right upto the right bank of river Kali.

By and large the left bank alignment slopes are stable, whereas the right bank slopes are vulnerable from the stability point of view. It was found that if the landslide zones is treated by placing wall which can resists flexible deformation like wire crates it will help to bring the slope in natural stability with the time.

On the basis of the geological inspection and the study of the site and the facts given above, the following recommendations are being made for the construction of the proposed motor road falling to these recommendations this report will be automatically treated as cancelled.

4- Recommendations:

- 1- Form the road by wire crate only between CH. 00/00/20 and do not excavate the hill slope. Place 3 layers of wire crates on the either side no slopes of the road.
- 2- Do not throw the excavated waste on the lower slope otherwise it will threat the stability of the Joshimath-Malai motor road and its lower slopes.
- 3- In order to maintain the overall stability of the hill slopes and the road construct suitably designed retaining walls/ breast walls all along the road.
- 4- Construct large hill side lined/concrete drain all along the road and make adequate cross drainage arrangements.
- 5- Make adequate arrangements to dispose the waste water on the safe/ stable ground, free flow of accumulated rain water may damage the hill slope and the road.
- 6- The drainage work must be taken up immediately after the excavation of the hill slopes.
- 7- All the construction activity must be carried out as per the standards and norms following the BIS codes prescribed for the similar civil construction in Himalayan Zone.

5- Conclusion: On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the proposed alignment corridor was found suitable for the construction of 2 km long motor road namely Jal Bend to Chilond motor road, located in Ukhimath Block, Distt. Rudraprayag.

Photocopy attested
[Signature]
[Stamp: 20/01/2018, 10:10 AM, P.W.D. Dehradun]

[Signature]
[Stamp: 20/01/2018]
(Vijay Dangwal)
Vijay Dangwal
Senior Geologist
Office of the Engineer-In-Chief
Office of the Engineer-In-Chief
P.W.D., Dehradun.

प्रपत्र-34

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊस्तीमठ (मदप्रभाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊस्तीमठ (मदप्रभाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊस्तीमठ (मदप्रभाग)

पृष्ठ-35

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से चित्तौड़ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का दो-निर्विक को हस्तान्तरण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of

road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)



महासंक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)



अतिरिक्ती अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-36

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बेण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि वन लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकरे वन भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की रेखा-दंड में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध बनाय गये मुलाये रखा-स्वाप किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपरित नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नहरारियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकरक के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर श्रेष्ठतम तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का मालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति की जाली अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उदाहरण वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का

भुगतान प्रयोक्तृ ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरीडोर के नीचे यथासंभव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो उपयुक्त पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संयोजित उप वन संरक्षक द्वारा लिखित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्तृ ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्तृ ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्तृ ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्तृ ऐजेन्सी को मान्य है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण स्वर्ण, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण स्वर्ण, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीक्षारी अभियन्ता
निर्माण स्वर्ण, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-37

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि क^०लो^०नि^०वि^० को हस्तान्तरण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिता वनभूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल स्मारक, मन्दिर, गिरिज, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वनभूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रूद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रूद्रप्रयाग)


अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमत (रूद्रप्रयाग)


जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग
उत्तरांचल

प्रपत्र-38

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बेण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तांतरण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण कार्य/ रस्त-रश्चाव के दौरान वन्यजीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिरिक्ती अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-39

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का तोलावि० को हस्तान्तरण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल /रसोई गैस उपलब्ध कसये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जलपट रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव के दौरान वन संपदा का प्रयोग भोजन पकाने में नहीं करेगा तथा रसोई गैस व कैरेसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करेगा। जिसकी आपूर्ति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-40

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चित्तौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो० नि० वि० को हस्तांतरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1.	चित्तौण्ड	311	70


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्रपत्र-41

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु 1.610 है० वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य ₹ 6.00 लाख प्रति है० है। तथा वनभूमि का कुल मूल्य ₹ 9.66 लाख होता है।


राजेश उपनिरीक्षक
कालीमठ


क. सी. यादव
उपनिरीक्षक
नजद ऊदप्रयाग


उपनिरीक्षक
ऊदप्रयाग


जगदीश
उपनिरीक्षक
ऊदप्रयाग

प्रपत्र-42

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि.वि. की हस्ताक्षरणा।

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्रावकलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- ~~जाल वैण्ड~~ क्षेत्रफल 1.610 x 2 = 3.22 ⁵⁰ है.

सेपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु. में)	योग
1	2	3	4	5
1.	सर्वे एवं सीमांकन	3.22 H.	85/-	273.70
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	3.22 H.	2637/-	8468.60
3.	अस्थिर टीला व बूटी (फर्निशिंग) 500 x 45 x 1.20	270 M ²	195/-	52650.00
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभिव्यक्तिक कार्यों हेतु प्राविधान	3.22 H.	6440/-	20736.00
5.	गड्डा खुदान (0.30x0.30x0.45)	6440	10500/50 H.	33810.00
6.	निरीक्षण बटिया बनाने 3.22 H.	3.22 H.	644/-	2073.60
7.	पौधों का मूल्य	6440 No	5/-	32200.00
8.	अन्य व्यय जैसे वन, सारा, औजार तेज कराना एवं अन्या कार्यों पर व्यय		L.S.	10000.00
9.	अन्य कार्य	3.22	644/-	2073.60
	योग:- प्रथम चरण			162250.46

द्वितीय चरण

1.	गड्डा खुदान (0.30x0.30x0.45)	6440 No	100%	6440.00
2.	पौधों का मूल्य	6440 No	1.20/-	7728.00
3.	पौधों का छतान कार्य 3.6 M ² वा. एन. के. 4' x 6' 6. M ² के. के.	3.22 H.	13600/50	43720.00
4.	पौधारोपण व धाराबूटी	6440 No	1957/-	12558.00
5.	निर्माई गुड़ाई व मालिचन (दो बार) 134 + 115	6440 No	249/-	16035.60
6.	खाद व दवा पर व्यय	3.22 H.	2000/50	6440.00
7.	वृक्षारोपण वर्ष में अनुसंधान पर व्यय 2 मोड	3.22 H.	900/5.50	2310.00
8.	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे यास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है	3.22	L.S.	1800.00
	8.2 सुरक्षा टीला / घेरबाड के बाहर 4 मी. की पहरी साफ करना		L.S.	15000.00
	8.3 वृक्षारोपण में सामाग्रीय होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जानकारी देना हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्तेजनात्मक कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना			2000.00

9.	अन्य व्यवसाय बोर्ड वीथी दुकान सेटु लोकरी, सुतली वीथी आदि अन्य वृक्षारोपण के समग्र वर्ष में बचने हेतु पोतीथीन रीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फ़िल्ड रतरीय कार्य को प्रचार-प्रसार एवं डेवक्यूमेंटेशन आदि कार्य	3.22	L.S.	25000-00
10.	अन्य कार्य		L.S.	15000-00
	योग:- द्वितीय चरण			20000-00

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अंतर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अभिन सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अभिन सुरक्षा में उत्तरोत्तरीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना		L.S.	20000-00
3.	अन्य कार्य 12.716	3.22	900/50	34776-00
	योग:-			64776-00

वृक्षारोपण का द्वितीय तीस वर्ष का रख-रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय तीस वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12.716	3.22	900/50	34776-00
2.	अन्य कार्य		L.S.	15000-00
	योग:-			49776-00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12.716	3.22	900/50	34776-00
2.	अन्य कार्य		L.S.	18000-00
	योग:-			52776-00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12.716	3.22	900/50	34776-00
2.	अन्य कार्य		L.S.	5000-00
	योग:-			40776-00

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख-रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	अन्य कार्य 12.716	3.22	900/50	34776-00
	योग:-		L.S.	5000-00
				40776-00

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12.716	3.22	900/50	34776-00
2.	अन्य कार्य		L.S.	5000-00
				40776-00

योग:-				
सुधारोपेण का सातवों वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवों वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 1/2	3.22	9000/50 34776-00
2.	अन्य कार्य	"		L.S. 6000-00
	योग:-			40776-00 40776-00

अनुसूचित जाति वर्ग - अ 3 (अ) 12 मा 2
 24/12/2018
 निदेशक वन्य जीव प्रभाग, 41, 572

वन्यजीव विभाग
 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
 कस्बीमठ रेंज (रूढ़प्रभाग)
 पन क्षेत्राधिकार
 कस्बीमठ वन क्षेत्र
 गुप्तकाशी

उपप्रभारी वन्यजीव
 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
 गोपेखर

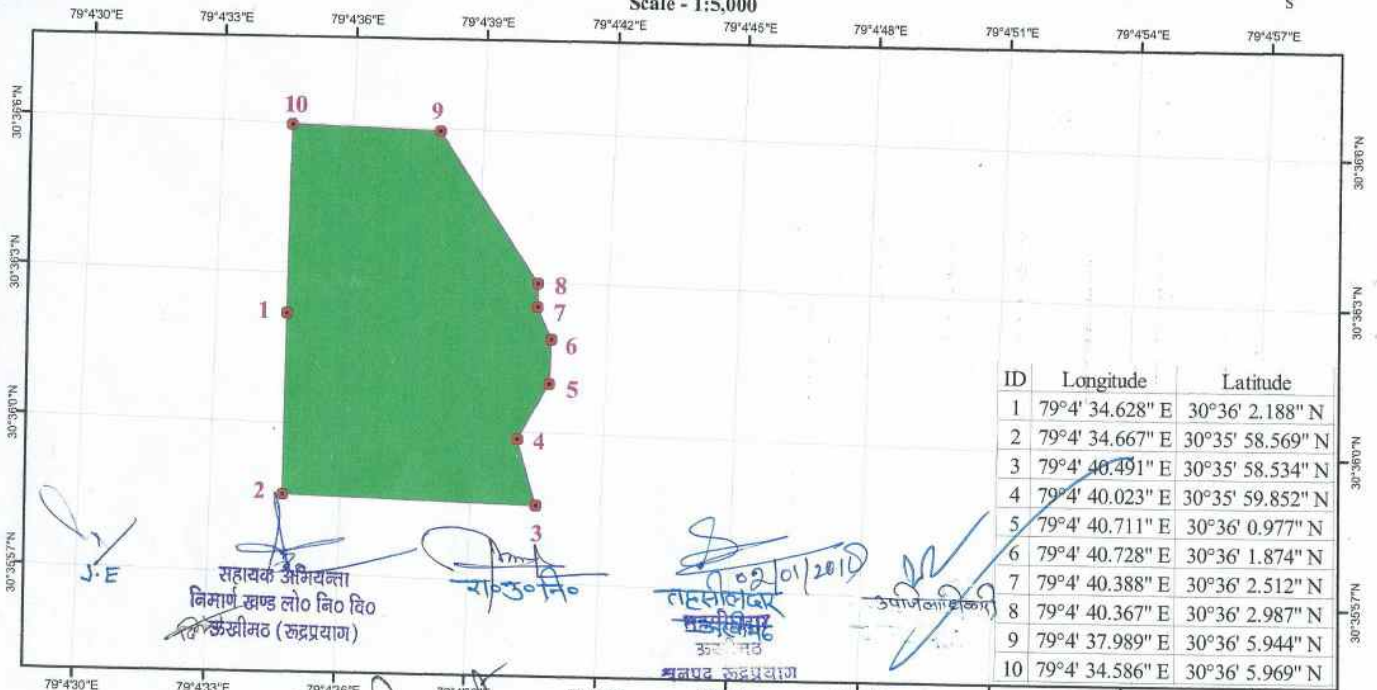
सिले योग - 9000/50 34776-00
 3.22 L.S. 6000-00
 कुल योग - 34776-00 40776-00

प्रभारी वन्यजीव विभाग
 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
 गोपेखर
 वन्य जीव प्रभाग गोपेखर
 (गोपेखर)

जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैंड से चिलौन्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.05 0.1 0.2 Km

Scale - 1:5,000



ID	Longitude	Latitude
1	79°4' 34.628" E	30°36' 2.188" N
2	79°4' 34.667" E	30°35' 58.569" N
3	79°4' 40.491" E	30°35' 58.534" N
4	79°4' 40.023" E	30°35' 59.852" N
5	79°4' 40.711" E	30°36' 0.977" N
6	79°4' 40.728" E	30°36' 1.874" N
7	79°4' 40.388" E	30°36' 2.512" N
8	79°4' 40.367" E	30°36' 2.987" N
9	79°4' 37.989" E	30°36' 5.944" N
10	79°4' 34.586" E	30°36' 5.969" N

Legend

- Ca Point
- CA P polygons

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कस्बोमठ (रुद्रप्रयाग)

यूनिट अधिकारी
गोपालकाशी यूनिट
यूनिट अधिकारी, गन्तवासी
सुबेदर गुप्तकाशी

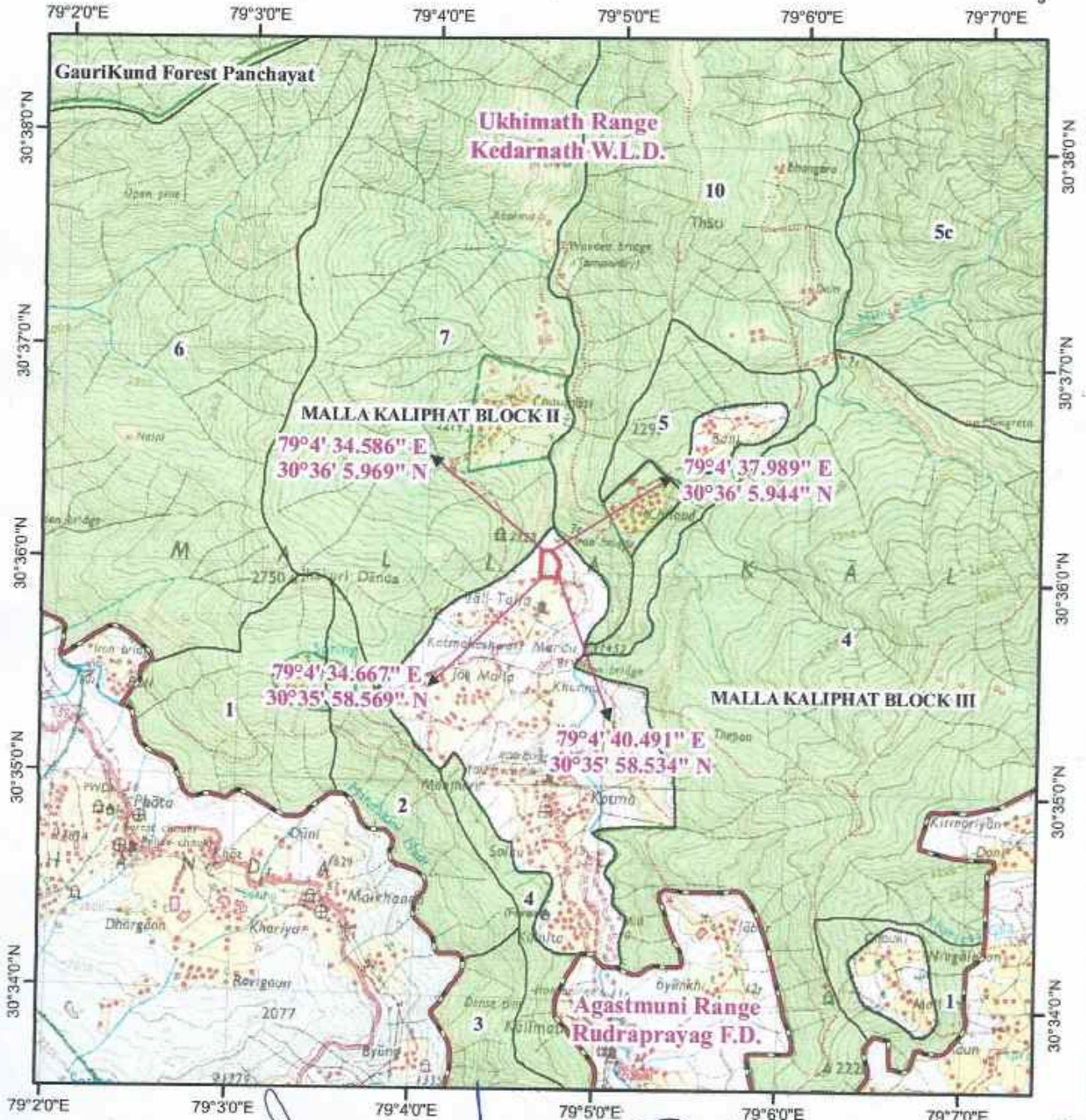
वन क्षेत्राधिकारी
कस्बोमठ वन दंडा
गन्तवासी

उप वन दंडाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी

डिजिटल मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैंड से चलौन्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 2 Km
1 : 50,000



Legend

- Proposed Plantation
- Forest Division Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Reserve Area
- Forest Reserve Boundary

बधियासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपनिर्देशक

अधीक्षक

अधीक्षक, गुप्तकाशी

रान्डनि

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन दफ्तर
गुप्तकाशी

जनपद रुद्रप्रयाग

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी

प्रपत्र-43

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चिन्हित जाल ताला सिविल स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।


वनक्षेत्राधिकारी
केदार नाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन
मुक्तकाशी


वनक्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ रेंज, मुक्तकाशी
मुक्तकाशी
मुक्तकाशी


उपप्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


उपप्रभागीय वनाधिकारी
ऊखीमठ वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

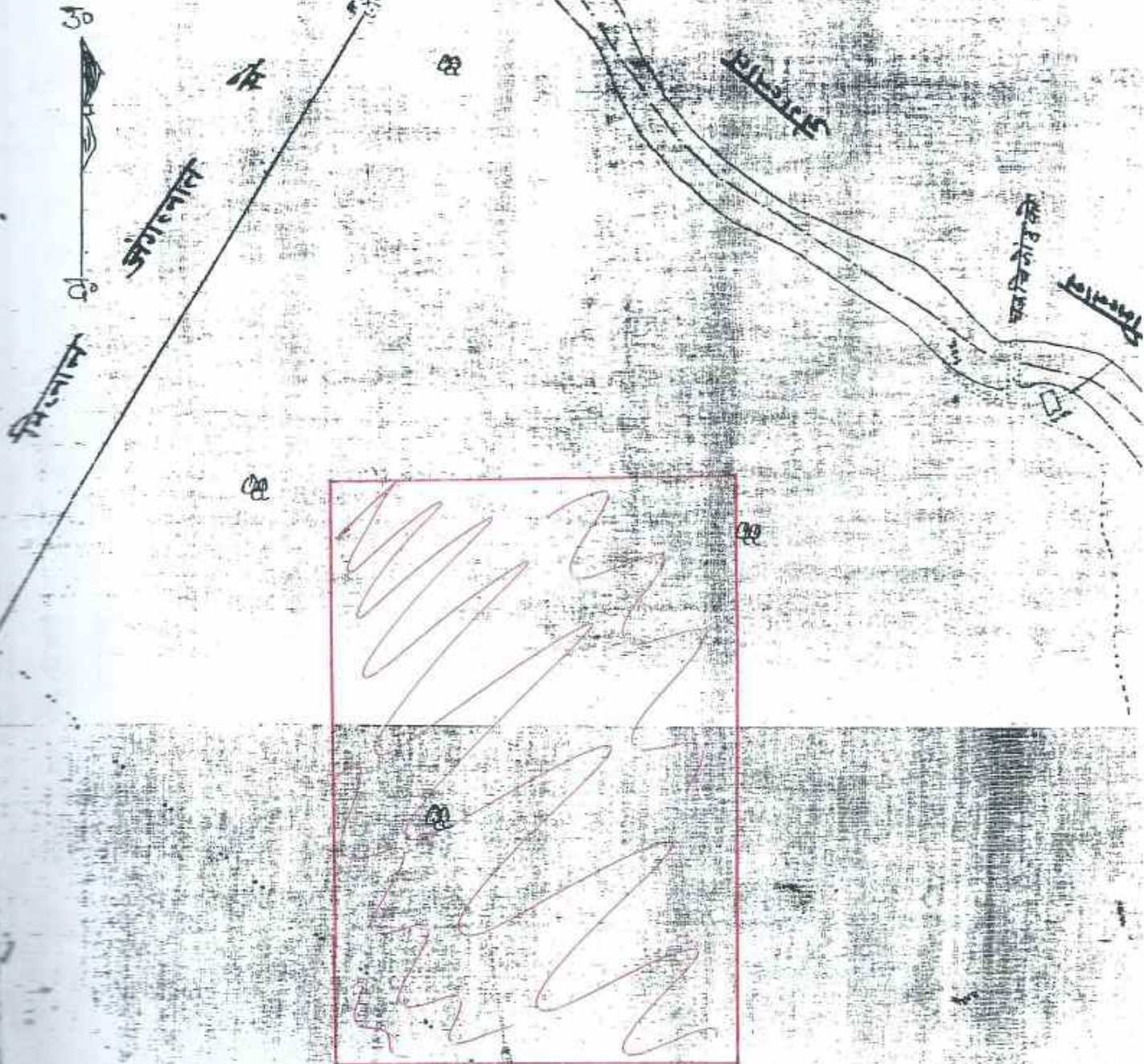

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

"क्षतिपूर्ति वक्षारोपण हेतु नकल नवशा"

परियोजना का नाम - जनपद - रुद्रप्रसाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाल क्षेत्र से धिलौण्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वनभूमि का लोनिर्माण का हस्तान्तरण।

तहसील - ऊखीमठ,
जनपद - रुद्रप्रसाग

ग्राम - जाल तहला,
स।०३० नि० क्षेत्र - कालीमठ,



नोट - सबल प्रसल से तैयार किया, अनिपूरा
हमारेक से पत्रित श्रीम. सुदी ताल दे
दे वरशि भी है. निम्नलिखित
26/7/16

मनोज अग्रवाल
स।० ३० नि०
तहसील - ऊखीमठ

જાનકલ દ્વારા કરાલી વર્ષ 1420 સુ 1424.

आम का नाम:- फूल बम्ला

राज्यीय क्षेत्र: कालिङ

तहसील:- अस्सीमठ,

ଉତ୍ତର:- ଅନୁମୋଦିତ ।

[illegible]

प्रस्तावित परियोजना माटर मार्ग के रिक्वा पड़े स्थल पर वृक्षारोपण का कार्य

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ में जिला योजना के अन्तर्गत जातबैण्ड से विलीण्ड मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी० के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कंदागुला वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर रेंज - ऊखीमठ					
वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल				1.610 हे०	
संक्षिप्त विवरण देने वाले पौधों की संख्या (333 पौध / प्रति किमी) 333×2=666 पौध					
प्रथम चरण					
क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.610	हे०	85.00	136.85
2	क्षेत्र की सर्वेड (जासी कटाव आदि)	1.610	हे०	2630.00	4234.3
3	ट्री माई कार्य करना	666	सं०	600.00	3996.00
4	गडदे खुदान 0.30×0.30×0.45 रेखांकन सहित	666	सं०	5.59	3722.94
5	निरीक्षण बटिया बनाना (प्रति हे० 100 रशी० ल० व १.60 गी० चौ०)	1.610	हे०	644.00	1036.84
6	पौधा की कीमत प्रथम वर्ष	666	सं०	5.00	3330.00
7	अन्य व्यय जैसे रॉटर संयन्त्र औजार तेल खराना वर्षा जल संचयन हेतु आवश्यकता अनुसार गडदे खोदना	1.610	हे०	644.00	1036.84
कुल प्रथम चरण					413097.77
द्वितीय चरण					
1	गडदे खदान कार्य 0.30×0.30×0.45	666	सं०	1.00	666.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	666	सं०	1.20	799.20
3	866 बैग पौध का दुआना वाहन से 30 किमी०	666	सं०	8.00/कि०मी०	1598.40
4	ट्री माई खुदान करना	666	सं०	100.00	66600.00
5	ट्री माई गाड़ना एवं किताव करना	666	सं०	50.00	33300.00
6	पौधारोपण व थाइलाइन्स	666	सं०	1.95	1298.70
7	गिराई - गुड़ाई व मलिनग (वी बार)	666	सं०	2.49	1658.34
8	स्थल व सजा पर व्यय	1.610	हे०	1000.00	1610.00
9	प्रथम वर्ष देखरेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 5 माह)	1.610	हे०	900.00	8100.00
10	अन्य व्यय बोर्ड पौध खुदान हेतु डोकरी मुतली बोरी आदि कम वृक्षारोपण के समय वर्ष से बचने हेतु पालीथिन रीटि कार्य करना			15	8050.00
योग द्वितीय चरण					123680.64
तृतीय चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह	1.610	हे०	900.00	17388.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.610	हे०	15	5000.00
योग तृतीय चरण					22388.00
चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह	1.610	हे०	900.00	17388.00
2	अन्य कार्य	1.610	हे०	15	5000.00
योग चतुर्थ चरण					22388.00
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह	1.610	हे०	900.00	17388.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.610	हे०	15	5000.00
योग पंचम चरण					22388.00
छटवां चरण					

[illegible]

संस्कृत-संस्कृत
संस्कृत-संस्कृत
(संस्कृत)

वन क्षेत्राधिकारी
उन्नीसठ वन क्षेत्र
गणतन्त्र

उद्युक्तगीत तृतीयका
प्र. व. अ.
मोहर (मोपेश्वर)

पानसिद्ध दाहिनी

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो॥नि॥वि॥ को हस्तान्तरण।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण स्वण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूढ़प्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण स्वण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूढ़प्रयाग)



अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण स्वण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूढ़प्रयाग)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली 1.61 है। वन भूमि के दुगने अवतन अर्थात् 3.22 है। सिविल सोयम भूमि जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका में वर्णित है, में वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने पर राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.सं.	खसरा नं.	कुल रकबा (है.)	अर्जित रकबा (है.)	खता खतोनी सं.	भूमिधर का नाम	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	1044	11.943	3.22	7	उ०ख० सरकार	जंगल झाड़ी


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

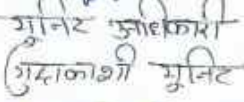


अधिक्षासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


राजस्व उप निरीक्षक
कालीमठ


तहसील सहायक
ऊखीमठ
वन प्रभाग रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ


यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी


वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन दफ्तर
गुप्तकाशी


रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-49
MUCK DISPOSAL PLAN

Name of Work: Construction of Jaal Bend to Chilond Motor Road in District Rudraprayag.

Muck Received From Hill Side Cutting

Road length			Average Cutting Width		Average Cutting Height	
Forest land	2000	m	5	m	3	m
Nap land	0	m	0	m	0	m

Material Received from hill side Cutting

For Forest Land $1/2 \times 2000 \times 5 \times 3 = 15000.00 \text{ Cum}$

For Nap land $1 \times 0 \times 0 \times 0 = 0.00 \text{ Cum}$

Total muck = **15000.00 Cum** ----- A

Assuming 40% swelling of muck so muck received (A+40%A)

= **21000.00 Cum** ----- B

Material Utilized in the Project

Assume 60% boulders and 40% soil in the Muck

Quantity of Boulders received from muck (60% of B)

12600 Cum ----- C

Boulders used as :-

(a) RR Stone Masonary (60% of C) 7560 Cum

(b) HP Stone Filling (20% of C) 2520 Cum

(c) Wirecrates and parapits (10% of C) 1260 Cum

(d) Granular sub base/ base (10% of C) 1260 Cum

Total Boulders utilized 12600 Cum

Soil used in filling for Half cutting-Half filling method (assume 30% of "B-C")

2520 Cum ----- D

Muck left for disposal (B-C-D) 5880.00 Cum

Disposal of Muck/loose soil in Dumping Zones

Sl. No.	Location	Size of Dumping yard			Type of Land/ Name of owner	Area (Ha.)	Capacity (Cum)	Latitude/ Longitude
		L(m)	B(m)	H(m)				
1	Ch. 0/0	25	20	4	Civil Land	0.050	2000	30°36'3.13"N 79° 4'40.84"E
2	Ch. 0/24	25	20	3	Sanctuary Land	0.050	1500	30°36'11.33"N 79° 4'39.07"E
3	Ch. 1/4	20	20	3	Sanctuary Land	0.040	1200	30°36'10.63"N 9° 4'44.62"E
4	Ch. 1/25	35	20	3.5	Sanctuary Land	0.070	2450	30°36'12.69"N 9° 4'46.64"E

0.21 Hec

Total Capacity of Dumping Zones

7150 Cum

Total Muck need to be disposed

5880 Cum

Balance Debris

NIL

कावेष्ट अभियन्ता
लोणनि(वि)
ऊखीमठ

सहायक अभियन्ता
लोणनि(वि)
ऊखीमठ

आयुक्त अभियन्ता
लोणनि(वि)
ऊखीमठ

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
मुफ्तकाशी

उप प्रभागीय वन अधिकारी
केन्द्रीय वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

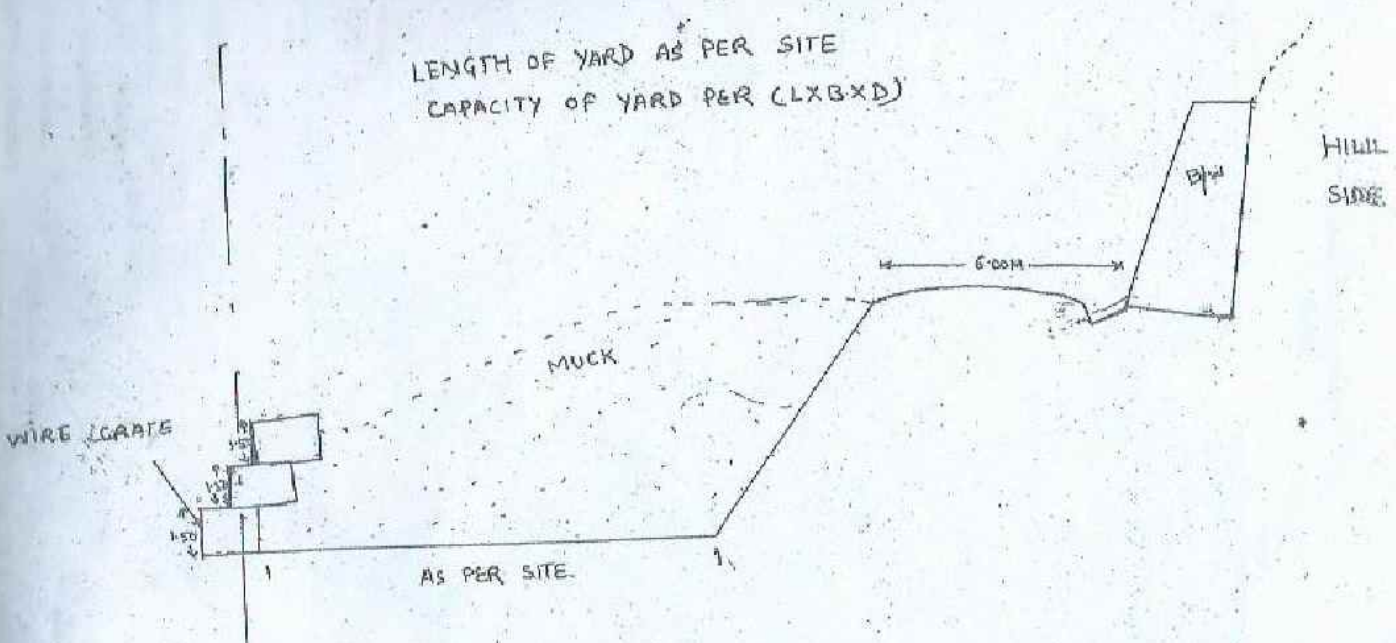
गोपेश्वर
(वर्गोत्तर)

मुफ्तकाशी
मुफ्तकाशी
मुफ्तकाशी
मुफ्तकाशी

उप प्रभागीय वन अधिकारी
ऊखीमठ उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बंध से विलोपित तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु पन भूमि का लोकनिर्माण को हस्तान्तरण।



TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (सुदूरपश्चिम)

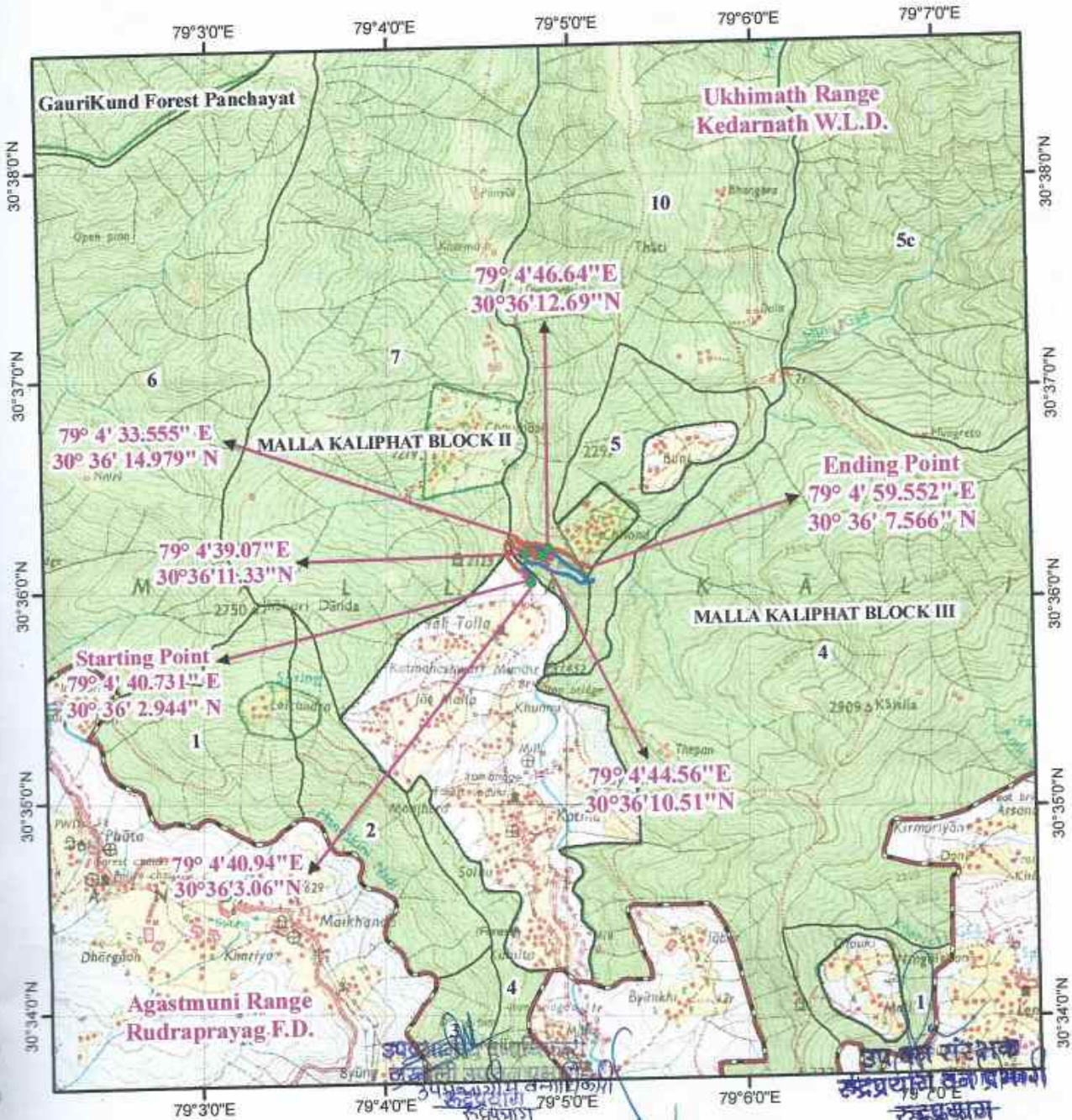
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (सुदूरपश्चिम)

अधिलेखी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (सुदूरपश्चिम)

डिजिटल मैप - जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैंड से चिलौन्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

80

0 0.5 1 1.5 2Km
1 : 50,000



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road
- ▭ Forest Division Boundary
- ▭ Forest Range Boundary
- ▭ Forest Reserve Area
- ▭ Forest Reserve Boundary

उपकायक
केदारनाथ वन्य जीव प्रान्त बोर्ड
(निलो)

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लोडिंग विभाग
रुद्रप्रयाग (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
अखीमठ वन
गुप्तकाशी

अधिकांश अभियन्ता
निर्माण एवं लोडिंग विभाग
रुद्रप्रयाग (रुद्रप्रयाग)

अप्रकाशित वनक्षेत्री
उप प्रो वन अं
गौधर (गोपेश्वर)

अप्रकाशित वनक्षेत्री
उप प्रो वन अं
गौधर (गोपेश्वर)

अप्रकाशित वनक्षेत्री
उप प्रो वन अं
गौधर (गोपेश्वर)

अप्रकाशित वनक्षेत्री
उप प्रो वन अं
गौधर (गोपेश्वर)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल वैण्ड से थिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का ए०नि०वि० को हस्तान्तरण।

N.P.V. की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या S-3 /2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० देयता निम्नानुसार है।

- 1.ईको - क्लास श्रेणी-----V-----
- 2.हरियाली का घनत्व-----1-----
- 3.एन.पी.वी. की दर प्रति है-----8,57,000.00-----
- 4.आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-----1.610 ha-----
- 5.कुल देय N.P.V की धनराशी-----10,57,770.00-----

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रूद्रप्रसाग)
वन अधीक्षक
ऊखीमठ वन क्षेत्र
मुफ्तकाशी

उपप्रभारी वनधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभारी वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
रमेश चन्द्र गोपेश्वर
(कोसी)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

N.P.V. की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 देयता निम्नानुसार है।

- 1.ईको - क्लास श्रेणी----- IV
- 2.हरियाली का घनत्व----- 0.10
- 3.एन.पी.वी. की दर प्रति है----- 657000 = ₹
- 4.आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.400 है० राज्य भूमि
- 5.कुल देय N.P.V की धनराशी----- 2,62,800 = ₹ (दो लाख बासठ हजार आठ सौ)


यूनिट अधिकारी
गुमकाशी यूनिट गुमकाशी,


उपप्रभारी वन अधिकारी
जल संयंत्र वन विभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन विभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-51

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कलिंग अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
उन्नीसत (खण्डप्रमाण)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
उन्नीसत (खण्डप्रमाण)


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
उन्नीसत (खण्डप्रमाण)

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रसाग के विकास खण्ड ऊखीमठ में जिला योजना के अन्तर्गत जालवेण्ड से विलीण्ड मोटर मार्ग लम्बाई 1.5 किमी० के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रत्यावित की जाने वाली वन भूमि का आरक्षी, सी पिलरो द्वारा सीमांकन का प्रावकलन

हस्तान्तरण सम्बन्धीय प्रमाण गोपेक्षर रैज -ऊखीमठ

क्र. सं.	काम का नाम	इकाई संख्या	लम्बाई मी०	चौड़ाई मी०	लम्बाई चौ०	मात्रा	प्रकार	वन की दर	प्रस्तावित की दर
1	आरक्षी/सीपिलर निर्माण हेतु बुनियादी खोदना	16	0.80	0.80	0.30	3.07	स्थायी	384.70	874.60
2	आरक्षी/सीपिलर के बीच में वृक्ष का काटना	16	0.80	0.80	0.10	1.02		15	5000.00
3	1:24 सीमेंट मसाले में आरक्षी/सीपिलर सिमेंट	16	0.60	0.60	0.80	4.61		6842.50	31530.24
4	जमरा सीमेंट पिलर कार्य हेतु करिया क्रय करना 3.48 मी० / 18-2.00					2.64	कु-दल	4000.00	10760.00
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लस्टर कार्य	16*4	0.60		0.80	30.72	स्थायी	138.00	4239.36
		16*1	0.60	0.60		5.76		138.00	794.88
6	पिलर पर पिलर रॉल्फा आदि सिंचना	16				16.00	रॉ	15	1500.00
7	माली का दुलाई आदि							15	2000.00
								कुल योग	56699.08

अप्रमुख अधिकारी
मुख्य (गोपेक्षर)

मुख्य अधिकारी
मुख्य वन जीव प्रशासक गोपेक्षर
(गोपेक्षर)

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
मुख्य अधिकारी

अप्रमुख अधिकारी

प्रपत्र-54

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण- प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

गुप्तकाशी थाना, गुप्तकाशी
मुख्य अधिकारी
गुप्तकाशी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग